भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2353
(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के लिए राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर

2353. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत कामगारों के लिए राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर (एनएमएमएस) के माध्यम से शिकायतें दर्ज करने हेतु एक विशिष्ट शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एनएमएमएस एप्लिकेशन में उपलब्ध भाषाओं का ब्यौरा क्या है और क्या और भाषाओं को शामिल करने के लिए इसका विस्तार करने की योजना है;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि मनरेगा के सभी कामगारों की पहुंच एनएमएमएस एप्लिकेशन को सपोर्ट करने वाले मोबाइल फोन तक हो , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने एनएमएमएस एप्लिकेशन की कार्यप्रणाली की जमीनी स्तर पर समीक्षा की है , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के कार्यान्वयन में और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सभी कार्यों (व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यों को छोड़कर) के लिए महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों की वास्तविक समय उपस्थिति को दिन में दो बार दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) का उपयोग किया जाता है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना लाभार्थी सीपीग्राम पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य तरीके भी हैं जिनके माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत शिकायतें प्राप्त

की जाती हैं और उनका समाधान किया जाता है जिसमें नियमित सामाजिक अंकेक्षण , लोकपाल को शिकायते दर्ज करना और ग्राम पंचायत स्तर पर बनाए गए शिकायत रजिस्टर में शिकायत दर्ज करना शामिल है। इसके अलावा जनमनरेगा मोबाइल ऐप में शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक नया विकल्प 'रेज योर कन्सर्न' उपलब्ध कराया गया है।

(ख): एनएमएमएस मोबाइल एप्लीकेशन वर्तमान में अंग्रेजी , हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में उपलब्ध है।

(ग): उपस्थिति एनएमएमएस एप्लीकेशन के माध्यम से सहायक/ग्राम रोजगार सहायक द्वारा दर्ज की जाती है।

(घ): मंत्रालय नियमित रूप से एनएमएमएस के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। यदि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस एप्लिकेशन का उपयोग करते समय कोई तकनीकी चुनौती आती है , तो मंत्रालय द्वारा उसका तुरंत समाधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त , मंत्रालय आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करता है, ताकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएमएमएस ऐप के उपयोग के संबंध में जागरूक रहें।